न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-314RAAJodhpur2024-115RTA223 Kundai Vs Abdul Kadir etc

कुन्दई पत्नी श्री अयुब खां, पुत्री शेर खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम देदासरी खेतुसर तहसील फलोदी, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. अब्दुल कादिर पुत्र श्री अमरदीन
02. याकुब पुत्र युसुफ
03. रफीक खां पुत्र युसुफ
04. नसीर खा पुत्र युसुफ
05. दिलताब खां पुत्र युसुफ
06. सायबदीन पुत्र युसुफ

    जातियान् मुसलमान, निवासीगण ग्राम देदासरी खेतुसर, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
07. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला फलोदी

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 मई 1997 सहायक कलक्टर फलोदी राजस्व मूल वादसंख्या 08/1989हाफीज अब्दुल कादर बनाम युसुफ इत्यादि

———————

उपस्थित–

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या7

नि र्ण य

दिनांक : 04जून 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर फलोदी द्वाराराजस्व मूल वाद संख्या 08/1989 अनवान हाफीज अब्दुल कादर बनाम युसुफ इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 मई 1997 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 19 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अपील करने की अनुमति प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट ने एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी गांव देदासरी तहसील फलोदी में कृषि भूमि खसरा नं० 336 रकबा 40 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं० 01 रकबा 208 बीघा, खसरा नं0 02 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं० 03 रकबा 36 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं० 69 रकबा 140 बीघा 16 बिस्वा के संबंध धारा88 एवं 53 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी घोषणा एवं विभाजन की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07 मई 1997 को वाद जरिये राजीनामा स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र वास्ते अपील करने की अनुमति प्रदान किये जाने पर अपनी बहस में वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में मृतक अमरदीन के वारिसान् के बारे में पूर्ण विवरण नहीं दिया गया एवं उसकी पुत्री सुफी के जीवित होते हुए भी उसे दावे में पक्षकार नही बनाया गया, जबकी वह आवश्यक पक्षकार है। अपीलार्थी की माता सुफी का दिनांक 17.02.2023 को स्वर्गवास हो गया, जिसकी एक मात्र वारीस अपीलार्थी है । विवादग्रस्त भूमि में मृतका सफी को उसके जायज अधिकारो से वंचित करने का प्रयास किया गया है तथा प्रार्थीनी अपीलाधीन डिक्री व निर्णय से व्यथित पक्षकार है, जिसे उसके विरूद्ध अपील करने का कानूनी अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्रस्वीकार किया जावे तथा अपीलार्थी को अपीलाधीन डिक्री व निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलार्थीनी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी को पूर्व में अपीलाधीन डिक्री व निर्णय की जानकारी नहीं थी। अपीलार्थी की माता सुफी दिनांक 17.02.2023 को फौत हो गई, जिस पर अपीलार्थी ने उसके विरासत के नामान्तरकरण हेतु पटवारी से माह जून 2024 में बात की तो पटवारी ने रेकर्ड देखकर बताया की उसकी माता का नाम रेकर्ड में दर्ज

ही नहीं है, बल्कि भूमि युसुफ एवं अब्दुल कादर के नाम ही दर्ज है । अपीलार्थी ने पीछे की जमाबन्दीयो की तलाश करवाई तो बताया गया की न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा जारी डिक्री से भूमि युसुफ और कादर के नाम दर्ज हुई है। अपीलार्थी ने उक्त पत्रावली के बारे में पता किया तो दिनांक 05.07.2024 को बताया गया कि पत्रावली जिला कलेक्टर कार्यालय जोधपुर में जमा है। तब दिनांक 08.07.2024 को अपीलार्थी ने अपने वकील के मार्फत नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश करवाया जो नकल दिनांक 12.07.2024 को उपलब्ध करवाई गई, जिसे पढाने पर अपीलार्थी को इस निर्णय के बारे में प्रथम जानकारी हुई। इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी। प्रथम जानकारी से यह अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जावे तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जावे।

गुणावगुण अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दुरभी संधी के तहत वाद पेश किया गया जो वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है एवं उस वाद में कानून के विरूद्ध राजीनामा पेश कर उसके अनुसार डिक्री जारी कर दी गई है। स्वयं न्यायालय ने यह विचार नही किया की ऐसा राजीनामाकानून सम्मत है अथवा नहीं, क्योंकि कानून सम्मत राजीनामें के आधार पर ही कोई डिक्री जारी की जा सकती है। अपीलाधीन डिक्री एवं निर्णय के जरिये आपसी मिलावट से बिना किसी वैध हस्तान्तरण पत्र के अप्रत्यक्ष रूप से खातेदारी अधिकारो का हस्तान्तरण किया गया। जहां एक पक्ष के हिस्से में केवल 40 बीघा भूमि रखी गई एवं युसुफ के हिस्से में 392 बीघा 01 बिस्वा भूमि रख दी गई जो किसी भी सुरत में नही रखी जा सकती थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में सही तथ्यो को छुपाया गया है। मृतक अमरदीन के सभी वारिसान के बारे में जानबुझ कर कोई जानकारी उपलब्ध नही कराई गई एवं यह तथ्य छुपाया गया की मृतक अमरदीन के दो पुत्रो के अलावा पुत्री भी है, जिसकी अब मृत्यू हो चुकी है एवं वाद प्रस्तुतीकरण के समय वह जीवित थी, जिसे अपने पिता की सम्पति में अधिकार अर्जित हुए थे। उसके अधिकारो को नजर अंदाज करते हुए अमरदीन के एक पुत्र में दुसरे पुत्र के विरूद्ध मिलावटी दावा पेश किया एवं बाला बाला डिक्री जारी करवा ली। अमरदीन की मृत्यू के पश्चात जो अधिकार विरासत में उसकी पुत्री सुफी, जो अपीलार्थी की माता

थी, उसे प्राप्त हुए, उन अधिकारो को मिलावटी दावे से समाप्त करने के प्रयास किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावे में मूल खातेदार अमरदीन के सभी वारिसान को पक्षकार नहीबनाया गया, जबकी वह आवश्यक पक्षकार थी। इस प्रकार वादी ने वाद पत्र में मिथ्या कथन करते हुए कपटपूर्ण तरीके से डिक्री जारी करवाई है। अपीलार्थी की माता सुफी का दिनांक 17.02.2023 को स्वर्गवास हो गया, जिसे भी उक्त डिक्री एवं निर्णय के बारे में कोई जानकारी पूर्व में नहीं थी। सुफी अपने हिस्से की भूमि पर बहैसियत खातेदार के काबिज थी एवं उसकी मृत्यू के पश्चात अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। रेस्पोडेन्ट ने मिलावटी डिकी प्राप्त कर अब अपीलार्थी को बेदखल करने का प्रयास किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.05.1997 निरस्त किये जावे एवं वाद पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाकर निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को वाद में बतौर प्रतिवादी पक्षकार स्थापित करते हुए विधि सम्मत तरीके से सभी पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर वादीनी का हिस्सा उसके नाम रखते हुए वाद में डिक्री जारी की जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थीनी द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए हस्तगत अपील म्याद बाहर पेश की है। अपीलार्थी को मूल खातेदार अमरदीन के फौतेदगी नामांतरकरण की शुरू से ही जानकारी थी एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की भी शुरू से ही जानकारी थी। अपीलार्थी द्वारा झूठे तथ्य अंकित करते हुए धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस कारण अपील म्याद के बिंदु पर ही खारिज काबिल है। अपीलार्थी द्वारा फौतेदगी नामांतरकरण संख्या 155 क विरूद्ध न्यायालय अपर जिला कलक्टर फलोदी में वर्तमान अपील से पूर्व वर्ष 2017 में अपील संख्या 34/2017 पेश की, उस वक्त भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की अपीलार्थीनी को बखूबी जानकारी थी। वर्ष 2017 में पेश अपील में धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्तमान अपीलांट द्वारा यह तथ्य अंकित किये गये कि अपीलांट ने उक्त भूमि की जमाबंदी की नकल दिनांक 02.10.2017 को हल्का पटवारी से ली। जब अपीलार्थी को प्रथम बार जमाबंदी में अंकित खातेदारों की

जानकारी हुई अर्थात् दिनांक 02–10–2017 को अपीलान्ट को यह बखूबी जानकारी थी कि वादग्रस्त भूमि में खातेदार अब्दुल कादिर व युसुफ पुत्र अमरदीन है। अपीलान्ट द्वारा वर्तमान अपील में धारा 5 में यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थी की माता सुफी के फौत होने पर हल्का पटवारी से जून 2024 में बात की तो बताया गया कि उनकी माता का नाम दर्ज नहीं है, बल्कि युसुफ व कादर का नाम दर्ज है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्य अंकित किये है। वर्ष 2017 में पेश नामान्तरकरण की अपील में इसी अपीलार्थी द्वारा यह तथ्य अंकित किये है कि दिनांक 02–10–2017 को जमाबन्दी की नकल लेने पर प्रथम बार राजस्व रेकर्ड की जानकारी हुई।वादग्रस्त भूमि में से खातेदार युसुफ द्वारा अपीलार्थी को दिनाक 23–02–1999 को विक्रय पत्र निष्पादित किया था। उस वक्त भी अपीलार्थी को राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारों की बखूबी जानकारी थी, जिसमें स्वयं अपीलार्थी खरीददार है। इस प्रकार वर्तमान अपील अपीलार्थी द्वारा जाहिरा म्याद बाहर पेश की है। अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय व राजस्व रेकर्ड की शुरू से जानकारी थी। धारा 5 म्याद अधिनियम एवं धारा 3 म्याद अधिनियम के तहत अगर किसी निर्णय व डिक्री की एवं राजस्व रेकर्ड की जानकारी हो चुकी है तो जानकारी से 60 दिवस के भीतर अपील पेश करने के प्रावधान है। वर्तमान अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिकी दिनांक 07–05–1997 के विरूद्ध 27 साल बाद म्याद बाहर अपील पेश की है जो पोषणीय नहीं है। अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की स्वयं की दूसरी अपील के अनुसार वर्ष 2017 एवं पंजीबद्ध बैचाननामा के अनुसार वर्ष 1999 में जानकारी हो चुकी थी जो राजस्व रेकर्ड से स्पष्ट है। इस कारण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम एवं अपील खारिज करने काबिल है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील जानबूझकर करीब 27 वर्ष म्याद बाहर पेश की है, जिसका कोई उचित कारण नहीं है एवं अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की शुरू से जानकारी थी। जानबूझकर गलत तथ्य अंकित कर म्याद बाहर अपील पेश की है। उक्त प्रार्थना पत्र को किसी भी सूरत में म्याद शुमार नही किया जा सकता। माननीय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय समय पर विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह माना है कि म्याद के बिन्दू को सर्वप्रथम तय करना आवश्यक है। इस कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किसी भी सूरत में स्वीकार करने काबिल नहीं है तथा उक्त अपील म्याद के बिन्दू पर ही खारिज करने काबिल है। इस कारण इस

अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व धारा 5 म्याद अधिनियम को तय करना आवश्यक है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा RRT2015(1) 369 में यह निर्धारित किया है कि अपील में धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को पहले निर्णित किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार RRT 2015(1)168, 2015(2) RRT 1425, RRD 1983 556, RRT 2010(2) 801, RRT 2014(2) 1349, RRT 2015(1) 232, RRT 2013(1) 125 आदि विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तो में यह निर्णित किया है कि धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थनापत्र को पहले तय किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जावे एवं अपील म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में परिशीलन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में विलंब पर अपीलार्थीनी का कथन है कि **उसकी माता के विरासतन नामांतरकरण की बात करने पर पटवारी हल्का द्वारा जून 2024 में बताया कि उसकी माता का नाम राजस्व रेकर्ड में नही होने तथा अपीलार्थीनी द्वारा जानकारी करने पर उसे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री नकल दिनांक 12.07.2024 को उपलब्ध होने पर सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई।** वही अपीलार्थीनी द्वारा **अति. जिला कलक्टर फलोदी के समक्ष धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत नामांतरकरण संख्या 155 मौजा देदासरी के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 34/2017 अनवान सुफिया बनाम युसुफ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में प्रार्थी/अपीलांट को दिनांक 02.10.2017 को वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी लेने पर राजस्व रेकर्ड की जानकारी होने के कथन किये गये है।** अपीलार्थीनी के स्वयं के कथनों से ही साबित है कि अपीलार्थीनी को वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रेकर्ड एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की शुरूआत से ही जानकारी रही है। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 23.02.1993 एवं नामांतरकरण

संख्या 373 ग्राम देदासरी के मुताबिक खातेदार युसुफ पुत्र मेहरदीन उर्फ अमरदीन द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 01 रकबा 208 बीघा में सें 40 बीघा भूमि अपीलार्थीनी को बेचान किये जाने पर नामांतरकरण संख्या 373 दिनांक 18.06.1999 के जरिये अपीलार्थीनी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है, जिससे अपीलार्थीनी को पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 23 फरवरी 1999 के निष्पादन के समय से ही वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड की जानकारी होना लाजमी है। 2010(2) आर.आर.टी. 801 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि **जहां विलंब शमन का प्र्याप्त कारण स्पष्ट नही किया जाता है तो अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा नहीं किया जा सकता है।** अपीलार्थीनी द्वारा अदालत हाजा एवं अति. जिला कलक्टर फलोदी के समक्ष प्रस्तुत अपीलों में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी की जानकारी के संबंध में भिन्न–भिन्न एवं मिथ्या कथन किये गये है तथा अपीलार्थीनी स्वच्छ हाथों के अदालत हाजा के समक्ष उपस्थित नहीं हुई है। अपीलार्थीनी द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को 27 वर्ष के अंतराल के बाद चुनौती दी गई है एवं अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का कोई संतोषजनक, विश्वसनीय एवं सद्भाविक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत अपील काल वर्जित पायी जाती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम खारिज किया जाता है एवं अपील अपीलांट कालवर्जित पाये जाने खारिज की जाती है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर